कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

एस.बी.सिविल याचिका संख्या 7306/2020 अशोक कुमार प्रजापत बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2020 में अप्रार्थीगण को याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को निस्तारित करने के निर्देश दिये गए।

याचिकार्थी ने अपने अभ्यावेदन में मुख्य रूप से यह कथन किया है कि तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षक सीधी भर्ती 1998–99 में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (छात्र) चूरू द्वारा सम्बन्धित जिले के निवासी को 10 बोनस अंक तथा उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी को 05 बोनस अंक प्रदान करते हुए वरीयता सूची तैयार की गई थी। याचिकार्थी के कथनानुसार माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों में सम्बन्धित जिले के निवासी को प्रदत्त 15 बोनस अंक अवैध घोषित करते हुए उक्त 15 बोनस अंकों को कम करके पुनः संशोधित वरीयता सूची तैयार कर नियुक्ति प्रदान किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। अतः याचिकार्थी ने अभ्यावेदन प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही कर अभ्यावेदन निस्तारण की मांग की है।

याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.09.2020 के परिप्रेक्ष्य एवं विभागीय नियमों, अभिलेखीय व नीतिगत स्थिति के सम्बन्ध में गहन अवलोकन व परीक्षण किया गया। वरिष्ठ अध्यापक/शारीरिक शिक्षक (द्वितीय वेतन श्रृंखला), शारीरिक शिक्षक (तृतीय वेतन श्रृखला) एवं पुस्तकालयाध्यक्ष/द्वितीय वेतन श्रृंखला/तृतीय वेतन श्रृंखला सीधी भर्ती 1998–99 मे सम्बन्धित जिले के निवासी को 10 बोनस अंक तथा उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी को 05 बोनस अक प्रदान करते हुए वरीयता सूची तैयार करने के सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर अपील (सिविल) 4417/2002 कैलाश चन्द शर्मा बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2002 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश प्रदान किये हैः–

- ....The claims of the writ petitioners should be considered afresh in the light of this judgment vis a vis the candidates appointed on or after 18.11.99 or those in the select list who are yet to be appointed. On such consideration, if those writ petitioners are found to have superior merit in case the bonus marks of 10% and/or 5% are excluded, they should be offered appointments, if necessary, by displacing the candidates appointed on or after 18.11.1999.
- The appointments made upto 17.11.1999 need not be reopened and re-considered in the light of the law laid down in this judgment......

उपर्युक्त निर्णयानुसार जिन अभ्यर्थियो को दिनांक 17.11.1999 को या इससे पूर्व नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है, उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया को इस निर्णय में वर्णित बिन्दुओं के आधार पर पुनः विचारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

याचिकार्थी अशोक कुमार प्रजापत द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन में सम्बन्धित जिले के निवासी को प्रदत्त 10 बोनस अंक तथा उसी जिले के ग्रामीण क्षेत्र के निवासी को प्रदत्त 05 बोनस अंक के आधार पर नियुक्ति प्राप्त ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों यथा प्रकाशचन्द, शुभकरण माली एवं जयराम स्वामी के 15 बोनस अंक विलोपित करने के पश्चात याचिकार्थी अशोक कुमार के प्रतिशत उक्त नियुक्ति प्राप्त अभ्यर्थियों से अधिक होने के आधार पर माननीय न्यायालय के क्रम में नियुक्ति प्रदान करने की मांग के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 17.11.1999 से पूर्व नियुक्ति प्रदान की जा चुकी थी, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2002 के परिप्रेक्ष्य में याचिकार्थी की तुलना उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति से नहीं की जा सकती है।

अतः याचिकार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर की गई मांग उपर्युक्त वस्तुस्थिति, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2002 एवं विभागीय नियमों के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं पाई गई है। मांग उचित नहीं पाए जाने के कारण इस मांग को अस्वीकृत की जाकर याचिकार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन निस्तारित किया जाता है।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा–मा. / संस्था / एफ–2 / को.के. / जोध / 13192 / 2020 दिनांकः– 31.03.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, चूरू
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) विधि, जोधपुर
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
4. सहायक निदेशक (विधि) कार्यालय हाजा को पत्रांक शिविरा / माध्य / विधि / बी–2 / जोध / नि0 / 29821 / एफ / 2020 / 5 दिनांक 24.02.2021 के क्रम में
5. याचिकार्थी अशोक कुमार प्रजापत पुत्र श्री इन्द्र चन्द प्रजापत, निवासी–वार्ड नं. 06, लोहिया के कुएँ के पास, आथुणा मौहल्ला, जिला–चूरू, पिन कोड–331001 (रजिस्टर्ड)
6. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण)